न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 59 / 2022

1. सादुलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, जाति राजपूत, निवासी–गोठ मांगलोद, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मंत्री श्री दधिमती माताजी मंदिर समिति प्रन्यास गोठ मांगलोद
2. करणसिंह पुत्र हेमसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र हेमसिंह फौत के कायम मुकामान
   3/1 गिरधारी सिंह पुत्र नरपतसिंह
   3/2 गोविन्दसिंह पुत्र नरपतसिंह
   3/3 विष्णुकंवर बैवा नरपतसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र हेमसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र हेमसिंह
6. धापूकंवर पत्नी हेमसिंह फौत के कायम मुकामान
   6/1 अचन कंवर पुत्री धापुकंवर
   6/2 ओमकंवर पुत्री धापुकंवर
   6/3 सुप्यारकंवर पुत्री धापुकंवर
7. पदमसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
8. बुधसिंह पुत्र सुल्तानसिंह फौत के कायम मुकामान
   8/1 सोहनकंवर बैवा बुधसिंह
9. रणजीतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
10. मोहनसिंह पुत्र जीवणसिंह फौत के कायम मुकामान
    10/1 केशर कंवर बैवा मोहनसिंह
11. सोहनसिंह पुत्र जीवणसिंह
12. माडू कंवर पत्नी जीवणसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण–गोठ तहसील–जायल।
13. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश कुमार बिडियासर अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नाथूराम ईनाणियां प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 से 3/3, 4,5, 6/1, 8/1,9,10/1 व 11 व 12 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 6/2, 6/3,7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 20/07/2022

20/07/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के सहखातेदारी में मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर, खसरा नंबर 89 / 279 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि रहती चली आई है। वादी एंव प्रतिवादीगणों ने उक्त खेतायों का बंटवाडा सम्वत् 2077 को माह सूदी तीज को अपने अपने हक हिस्से कब्जे काश्त पर सींव नींव वादपत्र के पैरा संख्या 1 के उप पैरा (क से ख) अनुसार कायम कर ली है। जिसका बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर रखे गये है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 89 / 279 रकबा 0.1700 हैक्टैयर पूरा रखा गया है। अतः वाद पत्र अनुसार अलग–अलग बंट किया जाकर डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

[redacted] वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या प्रतिवादी संख्या 2 व 3 / 1 से 3 / 3, 4,5, 6 / 1, 8 / 1,9,10 / 1 व 11 व 12 ने दिनांक 13.06.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर वकालतनामा एवं ईकबाली जबाव पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर ने की तथा प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 2 व 3 / 1 से 3 / 3, 4,5, 6 / 1, 8 / 1,9,10 / 1 व 11 व 12 की पहचान अधिवक्ता श्री नाथूराम ईनाणियां ने की। ईकबाली जबाव शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 6 / 2, 6 / 3,7 बावजूद सम्मन तामिल हाजिर नहीं हुवे इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 13 जिन्होनें राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 1, 6 / 2, 6 / 3,7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 / 1 से 3 / 3, 4,5, 6 / 1, 8 / 1,9,10 / 1 व 11 व 12 द्वारा प्रकरण के संवंध में ईकबाली जबाव पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 13 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

[redacted]द पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सादुलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के पेश हुवे तथा , नकल जमाबन्दी ग्राम गोठ तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 143 प्रदर्श–1 पेश हुवे। बेचान नामा लवल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह बहक मंत्री श्री दधीमति माताजी मंदिर समिति प्रन्यास गोठ मांगलोद के पक्ष में की प्रति दिनांक 31.03.2021 पेश की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1, 6 / 2, 6 / 3,7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 / 1 से 3 / 3, 4,5, 6 / 1, 8 / 1,9,10 / 1 व 11 व 12 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब शपथ पत्र वाद पत्र को

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार की तामिल हो चुकी है जो वाद पत्र मे परफॉमा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफॉमा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जवाब में वर्णित पैराज अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादीगण सं. 2 व 3/1 से 3/3, 4,5, 6/1, 8/1,9,10/1 व 11 व 12 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि सहखातेदार है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब एवं वकालतनामा दिनांक 13.06.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, साक्ष्य शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3/1 से 3/3, 4,5, 6/1, 8/1,9,10/1 व 11 व 12 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब एवं प्रतिवादीसंख्या 1, 6/2, 6/3,7 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। दिनांक 31.03.2021 को नवलसिंह पुत्र सुल्तान सिंह द्वारा खेत खसरा नंबर 89 रकबा 23.04 बीघा के अपने संभावित हिस्से में से 1.1 बीघा उतरी पश्चिमी भाग की भूमि का बेचाननामा बहक मंत्री श्री दधीमति माताजी मंदिर समिति प्रन्यास गोठ मांगलोद के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 13 को राजपैरोकार को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 13.06.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3/1 से 3/3, 4,5, 6/1, 8/1,9,10/1 व 11 व 12 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा गोठ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी घोषणा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर रखे गये है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 89/279 रकबा 0.1700 हैक्टैयर पूरा रखा गया है जो कि प्रतिवादी को खसरा नंबर 89 रकबा 23.04 बीघा में से नवलसिंह पुत्र सुल्तान सिंह से जरिये बेचान प्राप्त

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हुआ है। वादी के वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य खसरें विशेष की भूमि का बंट चाहा गया है । अतः हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खरारा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर , खसरा नंबर 89/279 रकबा 0.1700 हैक्टैयर का विभाजन कर निम्न प्रकार से अंतिम किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर रखे गये है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 89/279 रकबा 0.1700 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

20/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

राजस्व वाद 59/2022
जीसीएमएस नंबर–2022/71
सादुलसिंह बनाम मंत्री श्री दधिमती माताजी मंदिर समिति गोठ मांगलोद

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 59/2022

वादीगण–

1. सादुलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, जाति राजपूत, निवासी–गोठ मांगलोद, तहसील–जायल।

प्रतिवादीगण – **बनाम**

1. मंत्री श्री दधिमती माताजी मंदिर समिति प्रन्यास गोठ मांगलोद
2. करणसिंह पुत्र हेमसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र हेमसिंह फौत के कायम मुकामान
   3/1 गिरधारी सिंह पुत्र नरपतसिंह
   3/2 गोविन्दसिंह पुत्र नरपतसिंह
   3/3 विष्णुकंवर बैवा नरपतसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र हेमसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र हेमसिंह
6. धापूकंवर पत्नी हेमसिंह फौत के कायम मुकामान
   6/1 अचन कंवर पुत्री धापुकंवर
   6/2 ओमकंवर पुत्री धापुकंवर
   6/3 सुप्यारकंवर पुत्री धापुकंवर
7. पदमसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
8. बुधसिंह पुत्र सुल्तानसिंह फौत के कायम मुकामान
   8/1 सोहनकंवर बैवा बुधसिंह
9. रणजीतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
10. मोहनसिंह पुत्र जीवणसिंह फौत के कायम मुकामान
    10/1 केशर कंवर बैवा मोहनसिंह
11. सोहनसिंह पुत्र जीवणसिंह
12. माडू कंवर पत्नी जीवणसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण–गोठ तहसील–जायल।
13. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश कुमार बिडियासर अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नाथूराम ईनाणियां प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 से 3/3, 4,5, 6/1, 8/1,9,10/1 व 11 व 12 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 6/2, 6/3,7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित।

20/07/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 59/2022
जीसीएमएस नंबर–2022/71
सादुलसिंह बनाम् मंत्री श्री दधिमती माताजी मंदिर समिति गोठ मांगलोद

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 से 3/3, 4,5, 6/1, 8/1,9,10/1 व 11 व 12 श्री नाथूराम ईनाणियां अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर , खसरा नंबर 89/279 रकबा 0.1700 हैक्टैयर का विभाजन कर निम्न प्रकार से अंतिम किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा गोठ तहसील जायल के खेत खसरा नं. 145 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 197 रकबा 13.1199 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 214 रकबा 3.1484 हैक्टेयर रखे गये है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 89/279 रकबा 0.1700 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/07/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)